

**प्रेस नोट**

**दिनांक 03.06.2021**

**सराहनीय कार्य जनपद अमेठी**

**रु0 25000/- का 01 अभियुक्त व रु0 15-15 हजार के 02 अभियुक्त थाना अमेठी व थाना रामगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार-**

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03/06/2021 को देखभाल क्षेत्र के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना अमेठी श्यामसुंदर व प्रभारी निरीक्षक थाना रामगंज मनोज कुमार की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर इनामिया अभियुक्तों 1- कन्हैया लाल यादव उर्फ कन्हैया यादव उर्फ गोकुल पुत्र हनुमान प्रसाद यादव उम्र करीब 27 वर्ष निवासी बनकटवा मजरे ज्ञानचन्दपुर थाना अमेठी जनपद अमेठी, 2- संदीप पाल पुत्र हरिराम पाल निवासी दुजई का पुरवा मजरे टीकरमाफी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष, 3- नन्हे यादव उर्फ राकेश पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी बनकटवा मजरे ज्ञानचन्दपुर थाना अमेठी जनपद अमेठी उम्र करीब 24 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0 197/2021 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट को बनकटवा मजरे ज्ञानचन्दपुर को समय करीब 11.00 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विभिन्न मुकदमों में वांछित अभियुक्त कन्हैया लाल यादव उर्फ कन्हैया यादव उर्फ गोकुल रु0 25000/- का इनामिया व 15-15 हजार रुपये के इनामिया 02 अभियुक्त 1- संदीप पाल, 2- नन्हे यादव उर्फ राकेश है। थाना अमेठी द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता**

- 1-कन्हैया लाल यादव उर्फ कन्हैया यादव उर्फ गोकुल पुत्र हनुमान प्रसाद यादव उम्र करीब 27 वर्ष निवासी बनकटवा मजरे ज्ञानचन्दपुर थाना अमेठी जनपद अमेठी।
- 2.संदीप पाल पुत्र हरिराम पाल निवासी दुजई का पुरवा मजरे टीकरमाफी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष
- 3- नन्हे यादव उर्फ राकेश पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी बनकटवा मजरे ज्ञानचन्दपुर थाना अमेठी जनपद अमेठी उम्र करीब 24 वर्ष।

**अभियुक्त - कन्हैया लाल यादव उर्फ कन्हैया यादव उर्फ गोकुल का आपराधिक इतिहास—(रु0 25000/- का इनामिया )**

- 1.मु0अ0सं0-561/2020 धारा 147/148/307/323/353/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना अमेठी,
- 2.मु0अ0सं0 492/2020 धारा 279/336/427 /353 भादवि।
3. मु0अ0सं0 14/21 धारा -307 भादवि
- 4.मु0अ0सं0 -452/2020 धारा -379 भादवि
5. मु0अ0सं0 197/2021 धारा - 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट

**अभियुक्त संदीप पाल का आपराधिक इतिहास – (रु015000/- का इनामिया)-**

- 1.मु0अ0सं0 561/2020 धारा 147/148/307/323/353/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट
2. मु0अ0सं0 492/2020 धारा -279/336/427 /353 भादवि
- 3.मु0अ0सं0 -14/21 धारा 307 भादवि
- 4.मु0अ0सं0 -197/2021 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट

**अभियुक्त नन्हे यादव उर्फ राकेश का आपराधिक इतिहास—( रु0 15000/- का इनामिया)-**

- 1.मु0अ0सं0 -561/2020 धारा 147/148/307/323/353/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट
- 2.मु0अ0सं0 492/2020 धारा 279/336/427 /353 भादवि
- 3.मु0अ0सं0 452/2020 धारा 379 भादवि, 4.मु0अ0सं0 197/2021 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट

**गिरफ्तारी टीम का नाम**

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री श्याम सुन्दर थाना अमेठी
- 2-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार थाना रामगंज
- 3-उ0नि0 श्री विधान चन्द्र यादव थाना अमेठी
- 4- हे0का0 दीपचन्द्र प्रजापति थाना अमेठी
- 5- का0 नरेन्द्र कुमार थाना अमेठी
- 6- का0 पंकज कुमार वर्मा थाना अमेठी
- 7-का0शिवभरत थाना रामगंज